न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
243/2006	21.12.2006	29.9.2025

श्यामगोपाल पुत्र जगन्नाथ, टांक निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 कंचन देवी पत्नी स्व0 श्यामगोपाल निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

1/2 सुनील कुमार टांक पुत्र स्व. श्यामगोपाल टांक निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

1/3 सुधीर कुमार टांक पुत्र स्व. श्यामगोपाल टांक निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

1/4 अजय कुमार टांक पुत्र स्व. श्यामगोपाल टांक निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. भारत सरकार जरिए महाप्रबन्धक, पश्चिमी रेल्वे, चर्च गेट, बम्बई।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री योगेश कुमार शर्मा,एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 13.11.06 के साथ यह पत्रावली इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।

नखण्ड अधिकारी
ंगापुर सिटी (राज0)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.06 मे निम्न तनकियां कायम की।

तनकी नम्बर 1 : आया वादी के पिता जगन्नाथ विवादित भूमि पर खातेदार की हैसियत से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व से शांतिपूर्वक विधिक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। भूप्रबन्ध अधिकारियों ने मनमाने ढंग से वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिसे वादी पुनः नाम कराने का अधिकारी है। ——वादी

तनकी नम्बर 2 : आया कि रेल्वे विभाग द्वारा अन्य भूमियॉ सहित विवादित भूमि राज्य सरकार को अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई थी, इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (2) व धारा 16 के अनुसार रेल्वे भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नही है। —— प्रतिवादी संख्या 1

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर ने इन दोनो तनकियात का निर्णय कर रिकॉर्ड पुनः राजस्व मंडल को प्रेषित करने का निर्देश प्रदान किया है।

पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की गई एवं सम्वन्धित पक्षकारान को तलब किया गया तथा उनसे साक्ष्य व सबूत लिये गये।

प्रकरण मे वादी की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत् 2009–12 प्रदर्श 12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016–19 प्रदर्श 13, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008–11 प्रदर्श 14, प्रदर्श 15, प्रदर्श ... नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008–19, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031–34 प्रदर्श 17, नकल नामान्तकरण संख्या 298 प्रदर्श 16, नकल जमाबंदी सम्वत् 2030–33 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2039 प्रदर्श 2 एवं बयान वादी पीडब्ल्यू 1, बयान

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

गवाह दामोदरलाल सरपंच पीडब्ल्यू 2, धर्मसिंह मीना पीडब्ल्यू 3, घूडया माली पीडब्ल्यू 4, कजोडमल पीडब्ल्यू 5 करवाये है।

प्रतिवादी की ओर से प्रकरण मे नकल खतौनी जमाबंदी भूमि एकीकरण सम्बत् 2010 प्रदर्श डी 1, नकल खतौनी बंदोवस्त सम्बत् 2003–22 प्रदर्श डी 2, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत् 2058–61 प्रदर्श डी 3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी 6, सत्यापित फोटोकॉपी राज्य सरकार का परिपत्र दिनांक 16.12.1959 प्रदर्श डी 7, सत्यापित फोटोकॉपी पत्र दिनांक 14.11.1977 डिविजनल सुपरीटेन्डेन्ट पश्चिमी रेलवे कोटा प्रदर्श डी 8, सत्यापित छायाप्रति डिटेल ऑफ रेल्वे लैण्ड प्रदर्श डी 9, सत्यापित फोटोकॉपी पत्र दिनांक 27.6.1983 राजस्थान सरकार प्रदर्श डी 10, सत्यापित परिपत्र दि0 22.9.1999 राजस्थान सरकार प्रदर्श डी 11 प्रस्तुत किये हैं एवं बयान वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर रेल्वे, गंगापुर सिटी श्री सी.एल. तोमर के कराये है।

संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में भूमि ख0न0 887 स्थित है। जिसका साबिक ख0न0 722 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा था। यह भूमि रेल्वे विभाग की खातेदारी की थी किन्तु रेल्वे विभाग ने दि0 21.6.1953 को उक्त भूमि राज्य सरकार को दे दी। इसके बाद अगस्त 1953 में यह भूमि वादी को विधिवत रूप से आवंटित कर दी गई एवं मौके पर कब्जा दे दिया गया तब से वादी इस भूमि को काश्त करता आ रहा है। इस भूमि का नामान्तरकरण वादी के हक में वर्ष 1975 मे तस्दीक हो गया। अब इस भूमि का वादी ही काबिज काश्तकार व खातेदार दीगर है। हाल भूप्रबन्ध में इस भूमि को गलत रूप से रेल्वे विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 887 को वादी की खातेदारी भूमि घोषित की जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त में वादी को कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब दावे में वादी द्वारा प्रस्तुत दावे को अस्वीकार किया है एवं अंकित किया है कि यह भूमि रेल्वे विभाग की खातेदारी भूमि रही है तथा वादी का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः दावा खारिज किया जावें।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने फोटोकॉपी भूमि आदान प्रदान पत्र दिनांक 11.6.53, फोटोकॉपी रेल्वे विभाग प्रार्थना पत्र दिनांक 2.1.80, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी जमाबंदी सम्वत् 2030–33 व सम्वत् 2039, नकल निर्णय भू अभिलेख अधिकारी दिनांक 21.12.83, नकल निर्णय भूप्रबन्ध आयुक्त 15.4.85, नकल जमाबंदी सम्वत् 2022–25, लगान रसीद किता 4 प्रस्तुत किये है।

प्रतिवादी द्वारा फोटोकॉपी नामान्तरकरण संख्या 288 पेश की है।

पत्रावली में असल नामान्तकरण मंगवाया गया तथा निम्न प्रकार तनकी कायम की गई।

<u>तनकी संख्या 1–</u> आया वादी भूमि साबिक ख0न0 722 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा हाल ख0न0 887 रकबा 2.92 है0 स्थित ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी स्वयं की खातेदारी एवं काश्त की भूमि है। जिसे वादी स्वयं के नाम इन्द्राज कराने तथा स्वयं को खातेदार घोषित कराने का अधिकारीहै।—वादी

2. आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —वादी

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कब्जा रहा है। — प्रतिवादी

4. अनुतोष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपरोक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.1998 को निर्णय किया जाकर वादी का दावा विस्तृत रूप से तनकी अनुसार विवेचन करते हुए खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध वादी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के यहाँ प्रस्तुत की एवं वहाँ से निर्णय के उपरांत निर्णय दिनांक 7.1.1999 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.11.06 मे निम्न दो तनकियां कायम करते हुए इन पर निर्णय हेतु प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

तनकी नम्बर 1 : आया वादी के पिता जगन्नाथ विवादित भूमि पर खातेदार की हैसियत से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व से शांतिपूर्वक विधिक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। भूप्रबन्ध अधिकारियों ने मनमाने ढंग से वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिसे वादी पुनः नाम कराने का अधिकारी है। —वादी

तनकी नम्बर 2 : आया कि रेल्वे विभाग द्वारा अन्य भूमियॉ सहित विवादित भूमि अधिक अन्न उपजाओं कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई थी। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (2) व धारा 16 के अनुसार रेल्वे भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नही है। — प्रतिवादी संख्या 1

उपरोक्त तनकियात पर उभयपक्ष से साक्ष्य सबूत लिये जाकर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण ने अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है जो पत्रावली में संलग्न है।

वादी पक्ष के विद्धान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस के साथ निम्न न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

1. RBJ (5) 1998 PAGE 610
2. RBJ (5) 1998 PAGE 290
3. AIR 1954 SUP. COURT 355
4. AIR 1987 SUP. COURT 2179
5. RLR 1986 PAGE 986
6. CCC 2024(4) SUP. COURT 273
7. CCC 2024(2) SUP. COURT 277
8. AIR 1999 SUP. COURT 1441
9. DNJ 2020 (4) SUP. COURT 1567
10. DNJ 2013 RAJASTHAN 262
11. DNJ 2010 SUP. COURT 376
12. DNJ 2024(2) RAJASTHAN 695, 697
13. DNJ 2013 (1) 451
14. DNJ 2010(1) 260
15. CCC 2012(4) SUP. COURT 634

प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में न्याय दृष्टान्त RBJ 1994(1) 299 उद्धत किया है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, लिखित बहस एवं न्याय दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विरचित की गई तनकियों का तनकीवार विवेचन एवं निर्णय निम्न प्रकार है:-

तनकी नम्बर 1 : आया वादी के पिता [illegible] विवादित भूमि पर खातेदार की हैसियत से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पूर्व से शांतिपूर्वक विधिक कब्जे काश्त में चले आ रहे है। भूप्रबन्ध अधिकारियों ने मनमाने ढंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

से वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। जिसे वादी पुनः नाम कराने का अधिकारी है। —वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। नकल जमाबंदी सम्बत् 2009—12 प्रदर्श 12 जो वादी की ओर से प्रस्तुत की गई है, के कॉलम नम्बर 5 में कृषक के रूप में जगन्नाथ नाम अंकित है एवं ख0न0 के कॉलम नम्बर 6 में कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2016—19 प्रदर्श 13 में कॉलम संख्या 5 में जगन्नाथ कलाल के नाम भूमि ख0न0 602/5 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा गैर खातेदार के रूप में अंकित है। नकल नामान्तरकरण संख्या 298 दिनांक 18.8.1975 प्रदर्श 16 के अनुसार भूमि ख0न0 722 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी श्यामगोपाल पुत्र जगन्नाथ टांक के नाम रेल्वे विभाग के स्थान पर अंकित की गई है। नकल जमाबंदी प्रदर्श 11 के अनुसार ख0न0 722 महुकलॉ रेल्वे विभाग के नाम है। नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 सम्बत् 2012—16 में रेल्वे के नाम दर्ज है व सम्बत् 2018 में जगन्नाथ व सम्बत् 2019 मे रंगलाल, गमई, कन्हैया के नाम काश्त दर्ज है। रसीद लगान प्रदर्श 5 व प्रदर्श 6 है जिनसे यह साबिक नही होता है कि यह रसीद कौनसी भूमि की है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2030—33 जो प्रदर्श 3 है, में यह भूमि रेल्वे विभाग के नाम खातेदारी में है। विशेष विवरण में नोट अंकित है कि नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 14.4.75 द्वारा रेल्वे विभाग के बजाय श्यामगोपाल पुत्र जगन्नाथ गंगापुर सिटी की खातेदारी मे स्वीकार हुआ। नामान्तकरण संख्या 298 प्रदर्श 8 जो दिनांक 18.8.75 को सरपंच ग्राम पंचायत चूली द्वारा स्वीकार किया है में लिखा है कि तहसील के आदेश 28.6.69 के अनुसार खोला गया। श्यामगोपाल पुत्र जगन्नाथ निवासी गंगापुर काबिज है। अतः खातेदारी स्वीकार है। इसी नामान्तरकरण के कालम 16 में पटवारी की रिपोर्ट है कि श्यामगोपाल [illegible] एक नकल फैसला दिनांक 5.6.69, दिनांक 24.6.71 फैसला के अनुसार राजस्व अभियान में नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

खोल कर पेश है। गवाह पी.डब्ल्यू 5 ने अपने बयानों में बताया है कि नामान्तरकरण संख्या 8 मेरी कलमी है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। यह श्यामगोपाल के नाम भरा गया था। यह नामान्तरकरण मुताबिक आदेश भरा गया था। जिरह में कहता है कि मुझे यह जानकारी नही कि ग्रो मोर फूड योजना के अंतर्गत प्राप्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का वह व्यक्ति अधिकारी होता है कि नही। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1 से स्पष्ट है कि साबिक ख0न0 722 मे हालें नम्बर 887 कायम किया गया है तथा नकल खतौनी जमाबंदी सम्बत् 2039 जो प्रदर्श 2 है, में हॉल ख0न0 887 रेल्वे विभाग के नाम दर्ज है। वादी अपने बयानों में जो पीडब्ल्यू 1 है, यह भूमि 1953 में अलॉट होना तथा स्वयं का लगातार कब्जा होना स्वीकार करता है। गवाह पीडल्ब्यू 2 शंकरलाल नामा0 प्रदर्श 8 पर ए से बी स्वयं का, आदेश व सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताता है। गवाह पीडल्ब्यू 3 उक्त भूमि में वादी का कब्जा बतलाता है तथा गवाह पीडल्ब्यू 4 वादी का कब्जा बतलाता है। प्रदर्श 9 नकल निर्णय दिनांक 12.12.87 व प्रदर्श 10 नकल निर्णय दिनांक 15.4.1985 सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील है।

प्रतिवादी रेल्वे विभाग की ओर से प्रस्तुत नकल खतौनी जमाबंदी एकीकरण संवत 2010 प्रदर्श डी 1 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 10 बीघा 5 बीस्वा महकमा रेल्वे के नाम दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श डी 6 के अनुसार खसरा नम्बर 722 रकबा 10 बीघा 5 बीस्वा साविक खसरा नम्बर 602/5 से बना है। प्रतिवादी रेल्वे विभाग की ओर से प्रस्तुत सत्यापित प्रति परिपत्र दिनांक 27.06.1983 प्रदर्श डी 10 के अनुसार यह परिपत्र राजस्व सचिव ग्रुप 4 रा[illegible] सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को जारी किया [illegible] दिये गए है कि रेल्वे से सम्बन्धित भूमि पर किसी को खातेदारी अ[illegible]कार उत्पन्न नहीं होते है क्योंकि यह भूमि राज्य सरकार की नहीं है एवं रिकार्ड में ऐसा हो गया है तो तत्काल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

गंगापुर सिटी (राज0)

ही रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 22.09.1999 को जारी परिपत्र प्रदर्श डी 11 के अनुसार भारत सरकार की भूमियां जो अधिक अन्न उपजाओ अभियान के तहत आवंटित की गयी थी। उन पर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होगें।

इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि श्री जगन्नाथ को आवंटित की गयी थी परन्तु भूमि मूल रूप से रेल्वे विभाग की थी जो अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार को दी गई थी जिस पर मालिकाना हक रेल्वे विभाग का ही रहा था। वादी को भूमि आवंटन किन शर्तो के साथ किया गया था यह आदेश वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु वादी ने अपने वाद पत्र में यह स्वीकार किया है कि भूमि रेल्वे विभाग की थी जो विधिवत वादी को आवंटित की गयी एवं जिस पर वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। इसके विपरित रेल्वे विभाग का कथन है कि भूमि अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1953 में राज्य सरकार को दी गयी थी। जिस पर मालिकाना अधिकार रेल्वे विभाग (भारत सरकार) का ही है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के तहत भूमि कुछ शर्तो के साथ राज्य सरकार को दी गयी थी एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार इस भूमि पर किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है क्योंकि यह भूमि राज्य सरकार की नहीं है।

प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि रेल्वे विभाग की थी तथा रेल्वे विभाग द्वारा अधिक अन्न उपजाओं योजना के तहत केवल काश्त के लिए राज्य सरकार को दी तथा भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते थे लेकिन नामान्तकरण संख्या 298 जो प्रदर्श 8 है मे पटवारी ने निर्णय दिनांक 5.6.69 व 24.6.71 का हवाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

देकर नामा. वादी के नाम खोल दिया तथा सरपंच ग्राम पंचायत ने तहसील के आदेश का विवरण देते हुए रेल्वे की भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया। पटवारी की रिपोर्ट व सरपंच की स्वीकृति आदेश में पूर्णतः भिन्नता है वहीं वादी 1953 में यह भूमि उसे आवंटित होना बतलाता है परन्तु आवंटन का कोई अभिलेख व सबूत उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। नामान्तरकरण सं० 298 से भी आवंटन की पुष्टि नहीं होती है तथा इसी नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी सं० 2030 से 2033 के विशेष विवरण में वादी के नाम खातेदारी का नोट अंकित हो गया जबकि इससे पूर्व की जमाबंदी में यह भूमि रेल्वे विभाग के नाम अभिलेख में चली आ रही थी तथा खसरा गिरदावरी में भी केवल एक वर्ष सं० 2018 में ही वादी की काश्त दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 298 से वादी को जो खातेदारी सरपंच द्वारा दी गई है उससे वादी स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 298 में केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए गए हैं एवं केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। वादी अपने वादपत्र में सन् 1953 में भूमि आवंटन होना बतलाता है परन्तु आवंटन बाबत् उसने कोई अभिलेख पेश नहीं किया है। अभिलेख के अभाव में केवल वादी के कहने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि यह भूमि वादी को आवंटन हुई थी। इस भूमि का वादी को कभी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर वादी को जो खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उस आधार पर वादी स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। जब वादी पूर्व [illegible] काश्तकार नहीं था तो भू-प्रबन्ध के बाद भी पूर्व अभिलेख के आधार पर वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी सं० 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

तनकी नम्बर 2 : आया कि रेल्वे विभाग द्वारा अन्य भूमियॉं सहित विवादित भूमि अधिक अन्न उपजाओं कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई थी। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (2) व धारा 16 के अनुसार रेल्वे भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नही है।

— प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। तनकी नम्बर 1 में किये गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि राजस्थान सरकार की नहीं है इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(2) व धारा 16 के अनुसार रेल्वे की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वादी श्यामगोपाल साबिक ख0नं0 722 हाल ख0नं0 887 रकबा 2.92 है0 ग्राम चूली का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाद वादी डिक्री योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

श्यामगोपाल पुत्र जगन्नाथ, टांक निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 कंचन देवी पत्नी स्व0 श्यामगोपाल निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

1/2 सुनील कुमार टांक पुत्र स्व. श्यामगोपाल टांक निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

1/3 सुधीर कुमार टांक पुत्र स्व. श्यामगोपाल टांक निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

1/4 अजय कुमार टांक पुत्र स्व. श्यामगोपाल टांक निवासी गंगापुर सिटी हॉल निवासी 12127, ब्लॉक 32, रंगोली गार्डन, महाराणा प्रताप रोड, पॉच्यावाला, जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. भारत सरकार जरिए महाप्रबन्धक, पश्चिमी रेल्वे, चर्च गेट, बम्बई।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —243/2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.9.20[illegible] को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.15 18:50:34 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)